संख्या- 06/2025/1225/63-व0उ0-2025-06(एच)/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2025

विषय- संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में सिल्क पार्क की स्थापना हेतु 75 एकड़ भूमि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1023/ह0क0-नियोजन/2025-26 दिनांक 31-10-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या -2428/सात-भू0सु0/2025 दिनांक 24-10-2025 के क्रम में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 75 एकड़ भूमि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है |

2- आख्यानुसार आ0नं0 373 रकबा 43.165 हे0 भूमि में से रकबा 50 एकड़ यानी 20.250 हे0 एवं मौजा नैपुराकला, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला वाराणसी में स्थित आ0नं0 क्रमशः 237 रकबा 0.076 हे0 व आ0नं0 238 रकबा 0.046 हे0 व आ0नं0 239 रकबा 0.108 हे0 व आ0नं0 241 रकबा 0.089 हे0 व आ0नं0 284 रकबा 0.881 हे0 व आ0नं0 285 रकबा 0.311 हे0 व आ0नं0 286 रकबा 0.267 हे0 व आ0नं0 286/1076 रकबा 0.076 हे0 व आ0नं0 287 रकबा 0.023 हे0 व आ0नं0 288 रकबा 0.419 हे0 व आ0नं0 289 रकबा 0.129 हे0 व आ0नं0 290 रकबा 0.225 हे0 व आ0नं0 291 रकबा 0.032 हे0 व आ0नं0 292 रकबा 0.032 हे0 व आ0नं0 293 रकबा 0.223 हे0 व आ0नं0 294 रकबा 0.225 हे0 व आ0नं0 295 रकबा 0.391 हे0 व आ0नं0 296 रकबा 0.266 हे0 व आ0नं0 297 रकबा 0.040 हे0 व आ0नं0 949 रकबा 1.556 हे0 व आ0नं0 950 रकबा 0.060 हे0 व आ0नं0 951 रकबा 0.529 हे0 व आ0नं0 952 रकबा 0.842 हे0 व आ0नं0 953 रकबा 0.076 हे0 व आ0नं0 954 रकबा 0.077 हे0 व आ0नं0 955 रकबा 0.206 हे0 व आ0नं0 956 रकबा 0.206 हे0 व आ0नं0 957 रकबा 0.203 हे0 व आ0नं0 958 रकबा 0.201 हे0 व आ0नं0 959 रकबा 0.238 हे0 व आ0नं0 960 रकबा 0.516 हे0 व आ0नं0 961 रकबा 0.254 हे0 व आ0नं0 962 रकबा 0.026 हे0 व आ0नं0 963 रकबा 0.121 हे0 व आ0नं0 964 रकबा 0.129 हे0 व आ0नं0 965 रकबा 0.876 हे0 व आ0नं0 994 रकबा 0.150 हे0 कुल 37 गाटा रकबा 10.125 हे0 जो वर्तमान अभिलेख में खाता सं0-578 खातेदार के नाम सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट गंगा/प्रदूषण नियंत्रण इकाई/उ0प्र0 जल निगम के नाम श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में अंकित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त आख्यानुसार मौजा रमना में 20.250 हे0 व मौजा नैपुराकला में रकबा 10.125 हे0 कुल 30.375 हे0 यानि 75 एकड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भूमि संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजनान्तर्गत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है|

4- इस हेतु रजिस्ट्री डीड उत्तर प्रदेश जल निगम तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के मध्य सम्पादित की जाएगी। चूंकि उपरोक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन व जनहित में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है, अतः इस पर स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क देय नहीं होगा|

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश।

(2) जिलाधिकारी, वाराणसी।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषमणि पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।